

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प
 आदेश

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी
 व भू.अ.नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
 /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
 जिला की जमाबन्दी संख्या में खाता संख्या
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	12 CR	227 204	शाह अली पुत्र नरक मौहम्मद जाति गुमनाम माठा	शाह अली पुत्र सरकी मौहम्मद जाति गुमनाम

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

सं:- 7-8

दिनांक:- 25.09.25

पि:-
 तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र
 किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
 प्राची श्री को सूचनायें।
 रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर